

## NOTE FOR THE PAD

Department of Medical Education and Research is providing quality education through various Medical, Dental, Nursing, Physiotherapy & Para medical Institutions in the State. With an aim to achieve the desired doctor: patient ratio and to make the health care facilities more easily accessible and affordable, State Government envisions to establish Medical College in each district of the State. Further, realizing the importance of para-medical and technical staff in the functioning of the hospital, State Government has also decided to establish Physiotherapy, nursing and para-medical Colleges in the premises of medical colleges.

Hon'ble Chief Minister accorded approval for opening Medical College in District Sirsa in the FY 2020-21 with intake of 100 MBBS seats. The College shall be established on 21 Acres 13 Marla land of Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University (CCS HAU), Sirsa. Lease deed executed on 12.04.2021 in the name of Director, Medical Education & Research, Haryana, Panchkula at the rate of Rs.10 per Acre per year for a period of 30 years.

RFP was floated by the Department to invite bids from CPSU's empanelled by MoHFW, GoI for construction of AIIMS and up-gradation of Government Medical Colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna (PMSSY) for Planning, Designing Construction, Furniture, IT (Networking) and maintenance during defect liability period under EPC Contract Mode. The proposal for finalization of Executing Agency for project was placed before Committee of Secretaries for Medical Education & Research (COSMER). On 06.07.2021, in 6<sup>th</sup> meeting of COSMER M/s Bridge & Roof Co. (I) Ltd. was appointed as Executing Agency for construction of Government Medical College at Sirsa being L-1.

Award of Work to Bridge & Roof Co. (I) Ltd. was issued on 14.07.2021 and Memorandum of Agreement (MoA) was signed between the Department of Medical Education & Research and the Executing Agency on 21.09.2021.

Meeting of Consultancy Evaluation and Monitoring Committee (CEC-CMC) held on 10.05.2022 studied and analysed the concept plan and



Detailed Project Report submitted by the Executing Agency.

DPR of the project is under consideration of the Govt. for approval. Thereafter, DPR shall be placed before SFC-C for its approval.



## पैड के लिए नोट

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग राज्य में विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरा मेडिकल संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। वांछित चिकित्सक प्राप्त करने के उद्देश्य से रोगी अनुपात और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को अधिक आसानी से सुलभ और सस्ती बनाने के लिए, राज्य सरकार की प्रत्येक जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, अस्पताल के कामकाज में पैरा-मेडिकल और तकनीकी स्टाफ के महत्व को महसूस करते हुए, राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों के परिसर में फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 में 100 एमबीबीएस सीटों के साथ जिला सिरसा में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएस एचएयू), सिरसा की 21 एकड़ 13 मरला भूमि पर स्थापित किया जाएगा। 12.04.2021 को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा, पंचकूला के नाम पर 30 वर्ष की अवधि के लिए 10/- रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज डीड निष्पादित की गई।

योजना, डिजाइनिंग निर्माण, फर्नीचर, आईटी (नेटवर्किंग) के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत एम्स के निर्माण और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध सी0पी0एस0यू0 से ई0पी0सी0 अनुबंध मोड के तहत दोष दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव के लिए विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी किया गया था। परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए सचिवों की समिति (सीओएसएमईआर) के समक्ष रखा गया था। दिनांक 06.07.2021 को सचिवों की समिति की 6वीं बैठक में मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड को एल-1 होने के नाते सिरसा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड दिनांक 14.07.2021 को निर्माण कार्य का अवाई जारी किया गया था और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और कार्यकारी एजेंसी के बीच 21.09.2021 को समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कंसल्टेंसी मूल्यांकन और निगरानी समिति (सीईसी-सीएमसी) की दिनांक 10.05.2022 को आयोजित बैठक ने कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन और विश्लेषण किया।



परियोजना की डीपीआर अनुमोदन के लिए सरकार के विचाराधीन है।  
इसके पश्चात, डीपीआर को अनुमोदन के लिए एसएफसी-सी के समक्ष रखा जाएगा।